"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20 01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21-स] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 जनवरी 2008—माघ 11, शक 1929

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-2/08/20.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश में डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में द्विवर्षीय डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार —**
   (1) इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ डी. एड. प्रवेश नियम 2007 होगा.
   (2) यह छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी डी. एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थाओं पर लागू होंगे.
   (3) यह अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी.

2. **परिभाषाएं** — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेत न हो —
   (क) "राज्य शासन" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन,
   (ख) "श्रेणी" से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
   (ग) "संवर्ग" से तात्पर्य है, महिला, नि:शक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक,
   (घ) "प्री डी. एड. परीक्षा" से तात्पर्य है, डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा,

(ङ) "संचालक" से तात्पर्य है, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,

(च) "अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय" से तात्पर्य है, ऐसा संस्था/महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन से किसी भी प्र का अनुदान, अथवा चल-अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय" व तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा,

(छ) "गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय" से अभिप्रेत है कि ऐसे संस्था/महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित हो,

(ज) "डाइट" से तात्पर्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं "बी. टी. आई." का तात्पर्य बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है.

3. **डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश —**

(क) **प्री डी. एड. परीक्षा :—** सामान्यतया डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री डी. एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर की गई काउंसिलिंग के माध्यम से ही किया जायेगा.

(ख) **मूल निवासी :—** राज्य के शासकीय तथा शासकीय अनुदान प्राप्त डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में डी. एड. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा. निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी.

(ग) **आयु सीमा :—** डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश न्यूनतम आयु प्री डी. एड. परीक्षा वर्ष की 01 जुलाई को 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी.

4. **प्री डी. एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं —** डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होंगी—

(क) भारत का नागरिक हो.

(ख) हायर सेकेण्डरी (कक्षा 12वीं) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में 5 प्रतिशत छूट की व्यवस्था होगी. ऐसे अभ्यर्थियों को जो +2 परीक्षा में बैठे हैं प्री डी. एड. परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जाएगा. परन्तु उन्हें काउंसिलिंग के समय +2 परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.

5. **डी. एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण —** डी. एड. पाठ्यक्रम के उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा. वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियां होंगी, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे.

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी-वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा —

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत.

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत.

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत.

स्पष्टीकरण — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा. क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा—

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत. इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत. इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत. इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत.

(ग) शासकीय और अनुदान प्राप्त डाइट/बी. टी. आई. में गणित एवं विज्ञान समूह के लिए कम से कम 50% स्थान आरक्षित होंगी. शेष स्थान अन्य समस्त समूह जैसे कला, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, ललित कला इत्यादि के लिए होंगे. किसी एक समूह के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य समूह के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा.

(घ) उपरोक्त आरक्षण नियम "गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थाओं/महाविद्यालयों एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों" में लागू नहीं होंगे.

6. **प्री डी. एड. परीक्षा—**

(क) प्रतिवर्ष डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री डी. एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी.

(ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री डी. एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा. राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा.

(ग) प्री डी. एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा. अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा—
1. सामान्य मानसिक योग्यता 30 प्रतिशत
2. सामान्य ज्ञान 20 प्रतिशत
3. शिक्षण अभिरुचि 30 प्रतिशत
4. सामान्य हिन्दी 10 प्रतिशत
5. सामान्य अंग्रेजी 10 प्रतिशत

(घ) केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे.

(ङ) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

(च) प्री डी. एड. परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी.

7. **प्रावीण्य सूची—** प्री डी. एड. परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूचियां तैयार की जायेंगी. अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य, सभी जातियों को शामिल किया जाएगा. प्रावीण्य सूचियां छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक बनाई जायेंगी. प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा. समान प्राप्तांक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा.

8. काउंसिलिंग—

(क) प्रावीण्य सूची के प्रकाशन के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए काउंसिलिंग की जाएगी.

(ख) काउंसिलिंग संचालक द्वारा की जाएगी. काउंसिलिंग के समय प्रदेश में डी. एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे.

(ग) संचालक प्रावीण्य सूची में शामिल अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर काउंसिलिंग के लिए समाचार पत्र के माध्यम से आमंत्रित करेंगे.

(घ) काउंसिलिंग के लिए उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया जाएगा, जहां उनके मूल प्रमाण--पत्रों की जांच की जाएगी. केवल मूल प्रमाण-पत्रों की जांच में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी.

(ङ) अभ्यर्थियों के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति को प्रतीक्षा कक्ष/जांच कक्ष/काउंसिलिंग कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी.

(च) संचालक के आदेशों का सभी अभ्यर्थियों को पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें काउंसिलिंग के अयोग्य घोषित किया जा सकेगा.

(छ) काउंसिलिंग के लिए काउंसिलिंग कक्ष में अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता के क्रम से प्रवेश दिया जाएगा.

(ज) काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को उपलब्ध संस्था/महाविद्यालय तथा उपलब्ध सीटों के प्रकार की जानकारी दी जाएगी. अभ्यर्थी को मात्र एक डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालय/संस्था में मात्र एक सीट चयन करने का अधिकार होगा. अभ्यर्थी को अपना चयन काउंसिलिंग के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखकर देना होगा. एक बार सीट चयन कर लेने के बाद अभ्यर्थी को अपना चयन बदलने की अनुमति नहीं होगी.

(झ) अभ्यर्थी के द्वारा चयनित सीट पर उसे तत्काल प्रवेश दिया जायेगा और उसके मूल प्रमाण-पत्र जमा करा लिए जाएंगे. अभ्यर्थी को संबंधित डाइट/बी. टी. आई./महाविद्यालय/संस्था में फीस जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा. समय पर फीस जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जाएगा और वह सीट प्रावीण्य सूची में अगले क्रम के अभ्यर्थी को दी जा सकेगी.

(ञ) काउंसिलिंग निम्नलिखित क्रम से की जाएगी— पहले छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए काउंसिलिंग की जाएगी. इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिनके नाम छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की प्रावीण्य सूची में है. छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की काउंसिलिंग पूरी होने के पश्चात् अन्य अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की जाएगी. काउंसिलिंग के समय छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अभ्यर्थियों को निम्नलिखित क्रम से काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा :

(एक) अनारक्षित श्रेणी
(दो) अनुसूचित जनजाति श्रेणी
(तीन) अनुसूचित जाति श्रेणी
(चार) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी

इनके बाद अन्य अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जायेगा.

(ट) किसी भी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को जिसका नाम अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में भी हो, काउंसिलिंग के समय उपलब्ध अपनी श्रेणी के लिए आरक्षित सीट अथवा उपलब्ध अनारक्षित सीट में से कोई एक सीट चुनने का विकल्प होगा. चयनित विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

(ठ) काउंसिलिंग के संबंध में किसी भी विवाद में संचालक का निर्णय अंतिम होगा.

(ड) काउंसिलिंग के समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/- रु. (अक्षरी तीन सौ रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय, के साथ उपस्थित होंगे.

9. **आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश**— आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा.

10. **आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश**— किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा—

(क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी.

(ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी.

(ग) अनुसूचित जाति श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी.

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और इसके बाद भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी.

(ङ) सभी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी.

11. **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश**— इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी, परंतु यह नियम केवल निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं एवं गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में लागू होंगे.

12. **प्रवेश का निरस्तीकरण**— यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्व सूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा. प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा.

13. **संस्था/महाविद्यालय की फीस**— सभी संस्थाओं/महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा.

परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए. फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौंपेंगे तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता की सूचना के लिए प्रदेश के कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे.

परंतु यह भी कि संस्थाओं/महाविद्यालयों को प्री बी. एड. परीक्षा का प्रास्पेक्ट्स छापने के पूर्व अपनी फीस प्री डी. एड. परीक्षा एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेक्ट्स में छापी जा सके.

परन्तु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी.

14. **नियमों की व्याख्या**— प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा. यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 6-2/08/20.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-2/08/20, दिनांक 31-01-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमार, सचिव.

Raipur, the 31st January 2008

NOTIFICATION

No. F 6-2/08/20.—State Government hereby makes the following rules for admission to the 2 yearly D. Ed. Course in DIET/B.T.I./Colleges/Institutes in the state, namely :—

1. **Short name, commencement and extent**— These rules shall be called Chhattisgarh D.Ed. Pravesh Rules 2008. They shall extend to all the Government and private institutes of Chhattisgarh which run D. Ed. course. They will come into force with effect from the date of their publication.

2. **Definition** — In these rules unless the context the otherwise requires—

(a) "State Government" means, Government of Chhattisgarh.

(b) "Category" means, unreserved, Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Excluding creamy layer).

(c) "Class" means, Women, Disabled, Freedom fighter and Ex-Army.

(d) "Pre D. Ed. Examination" means, the competitive Examination organized for admission to D. Ed. course.

(e) "Director" means, Director State Council for Educational Research and Training.

(f) "Government Aided institute/College" means, a College, which has at any time received any grant-in-aid or any help in the nature of moveable or immoveable property from the State Government accordingly, and the term "unaided college" shall be construed accordingly.

(g) "Unaided Minority institute/college" means, a college, which is certificate by the Chhattisgarh State Minority Commission and reserves minimum 50 percent seats for religious minority community.

(h) "DIET" means, Distt. institute of Education & Training and 'B. T. I.' means Basic Training Institute.

Admission to D. Ed. Course—

(a) **Pre-D. Ed. Examination :-** Generally admission to D. Ed. Course will be given only through of counseling conducted on the Basic of the merit list of Pre-D. Ed. Examination.

(b) **Bona-fide Resident :-** Bona-fide residents of Chhattisgarh will be given admission on all the seats of D. Ed. Course in Goverament and Government aided DIET/B.T. I./Colleges/Instituts state and on 80% seats of D. Ed. Course in private unaided College in the state. On 20% seats of D.Ed. Course in private unaided Colleges/Institutes in the state admission may be given to persons other than Bona-fide residents of Chhattisgarh. The definition of Bona-fide resident of Chhattigarh will be according to the instruction issued from time to time by the General Administration Department, Government of Chhattisgarh.

(c) **Age limit :-** Minimum age for Admission to D. Ed. Course will be 17 year on 1 July of the year of Pre-D. Ed. Examination and maximum age will be not more than 33 years. Relaxation in age will be given to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Class (Excluding creamy layer) and category, as per the instruction issued from time to time in this regard by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department.

4. **Qualification for appearing in Pre-D. Ed. Examination** — The Qualification of appearing in the Pre-D.Ed. Examination shall be as follows :-

(a) Must be a Citizen of India.

(b) Must have passed a Higher Secondary Examination (12th class) or its equivalent with at least 50% marks there shall be relaxation of 5 percent marks for candidate belonging to SC/ST/OBC (excluding creamy layer) and categories as per rules of State Government. Candidates who have appeared in the +2 examination will be given provisional admission in the Pre-D. Ed. Examination but they will have to submit the proof of having passed +2 Examinations at the time of counseling.

5. **Reservation of seats in D. Ed. Course** — There will be both vertical and horizontal reservation in the seats available for D. Ed. Course. There will be Categories for vertical reservation and classes for horizontal reservation.

A. **Vertical reservation or category**— Vertical reservation will be as follows :—

(First) 15% for Scheduled Caste
(Second) 21% for Scheduled Tribes
(Third) 14% for Other Backward Classes (Excluding creamy layer)

Explanation :- For getting the benefit of reservation in Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Excluding creamy layer) category, a Caste certificate as for the instruction issued in this regard by General Administration Department. Government of Chhattisgarh will have to be submitted.

B. **Horizontal reservation or class**— Horizontal means that this reservation will be equally distribute among the seats of all categories. Horizontal reservation will be as follows :—

(First) 6% for Disable class. For getting the benefit of reservation in this class, a certificate of being disabled as per the instruction issued in this regard from time to time by General Administration Department, Government of Chhattisgarh will have to be submitted.

(Second) 3% for Freedom Fighter class. For getting the benefit of reservation in this class, acertificate of being of Freedom Fighter son/daughter/grand son/grand daughter of Freedom fighter as per instruction issued in this regard from time to time by General Administration Department, Government of Chhattisgarh will have to be submitted.

(Third) 3% for Ex-Army class. For getting the benefit of reservation in this class, a certificate of being Ex-Army person as per instruction issued in this regard from time to time by General Administration Department, Government of Chhattisgarh will have to be submitted.

C. In Government and Government aided DIET/B.T.I. 50% of seats will be reserve for mathematics group and science group. Remaining seats will be for all other group like Art, Commerce, Agriculture, Home Science, Vocational Education, Lalit Art etc. If enough candidates are not available in one group than admission will be given to candidate of other group.

D. Above said reservation rules shall not be applicable in "unaided minority/institute/college" and unaided private institute/college.

6. **Pre D. Ed. Examination —**

(a) Pre D. Ed. Examination will be organized every year for admission to D. Ed. Course.

(b) State Government shall be an order appoint an agency to conduct Pre D. Ed. Examination. The State Government can at any time change the agency by an order made for this purpose.

(c) There will be only one question paper in the Pre D. Ed. Examination. The distribution of marks. will be as follows :—

(First) General Knowledge ability 30%

(Second) General Knowledge 20%

(Third) Teaching Aptitude 30%

(Fourth) General Hindi 10%

(Fifth) General English 10%

(d) Only objective type question shall be asked.

(e) There shall be no negative marking.

(f) There shall be no Revaluation and Re-totaling in Pre D. Ed. Examination.

7. **Merit list** — Separate merit lists shall be prepared on the basis of marks obtained in the Pre D. Ed. Examination, for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Class (Excluding creamy layer) and unreserved category. All castes including Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Class and General category, shall be including in the merit list of unreserved category. Merit list shall be prepared separately for Bona-fide resident of Chhattisgarh and other Candidates. The class to the candidate will also be written in the merit list. In the event of equality of marks, candidate with higher age will be kept higher in the merit list.

8. **Counseling —**

(a) Counseling will be done for giving admission in institution after the publication of merit list.

(b) Counseling will be done by the Director, Representative of all the institution running D. Ed. Course in the seats shall be present during counseling.

(c) Director will invite candidates in the merit list for counseling by the Newspaper only at their own cost.

(d) All candidates persent for counseling will be seated in a waiting hall where their original certificates will be examined. Only candidates found qualified on the basis of the examination of original certificates shall be allowed to take part in the counseling.

(e) One person other than the candidate shall be allowed entry in the waiting room/examination room/ counseling room.

(f) The candidate shall be obliged to follow all the orders of the Director, failing which they can be declared ineligible for counseling.

(g) At the time of counseling candidate will be allowed entry in the counseling room in the order of merit.

(h) The candidate shall be informed about the available DIET/B. T. I./College/Institute. The candidate will have to the right to choose only one seat in only one College. The candidate will have to give his choice in writing in the prescribed format; candidate will not be allowed to makes any change in the choice, once the choice is made.

(i) Admission will be granted to the candidate immediately on the seat chosen by him, and his original certificates shall be deposited. The candidate will be given one-week time to deposit fees in the concerned DIET/B.T.I./College/Institute. If fee is not deposited in time, the admission will be treated as automatically cancelled, and this seat will be made available to the next candidate in the merit list.

(j) **Counseling will be done in the following sequence-** First counseling will be done Bona-fide Resident of Chhattisgarh, in this counseling, only candidates in the merit list of Bona-fide Resident of Chhattisgarh will be included. After the counseling of the Bona-fide Resident of Chhattisgarh is over. Counseling shall be done for other candidate. Bona-fide Residents of Chhattisgarh shall be called for counseling in the following sequence—

(First) Unreserved Category

(Second) Scheduled Tribe's Category

(Third) Scheduled Caste Category

(Fourth) Other Backward Classes (Excluding creamy layer)

After that other candidate shall be called for counseling.

(k) Any candidate of a reserved category, whose name also figures in the unreserved category, will have a right to either choose a seat available for unreserved category or a seat available for this reserved category. The choice once made shall be final and no change will be allowed in the choice under any circumstances.

(l) The decision of the Director shall be final in case of any dispute with regards to counseling.

(m) In the time of counseling candidate should appear with original certificates/ documents and crossed Bank Draft of Rs. 300/- (Three Hundred Rupees only) in favours of Director, State Council of Educational Research and Training payable at Raipur.

9. **Admission in case enough indicates of reserved class is not available —** If enough candidates are not available in any reserved category, admission will be given in the following manner—

a. If enough candidates are not available in Scheduled Caste category, the seats reserved for this category shall be filled by candidate of scheduled Tribe category.

b. If enough candidates are not available in Scheduled Tribe category, the seats reserved for this category shall be filled by candidate of Scheduled Caste category.

c. If enough candidates are not available in both Scheduled Caste category, Scheduled Tribes category, the seats reserved for this category shall be filled by candidate of Other Backward Classes (Excluding creamy layer).

d. If enough candidates are not available in Other Backward Classes (Excluding creamy layer), the seats reserved for this category will first be filled by candidate of Scheduled Tribe category and if seats still remian vacant by candidate of Scheduled Caste category.

e. Only when no candidate of any reserved category in available, seats of reserved category to unreserved category.

11. **Admission in case enough candidate who are bona-fide resident of Chhattisgarh are not available —** If enough candidates who are Boba-fide residents of Chhattisgarh are not available for seat which should be filled by Bona-fide residents of Chhattisgarh according to these rules, such seats may also be filled by other candidates.

12. **Cancellation of admission —** If it is found that a candidate has succeeded in getting admission Institute/ College on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts, or if at any time after

admission was given due to some mistake or oversight, the admission granted to such candidate shall be liable to be cancelled without any notice at any time during the Course of his studies, by the head of the institution. In case of any dispute or doubts concerning admission etc., decision of the Government of Chhattisgarh shall be final.

13. **Fees of college** — All institutes/colleges subject to the general direction of the State Government in this regard shall have the right to decide their own fees.

Provided that institutes/colleges shall decide their fees in such a manner that fees should not become a means of exorbitant profit, Colleges/institutes shall decide the fees in proportion to the expenditure on the expenditure on their infrastructure and manpower, they shall submit an audited statement of this to the State Government and get it published in at least two Newspaper of the State for information of the Public.

Provided further that institutes/colleges are required to inform the State Government and Agency for conducting Pre D. Ed. Examination, in writing about the fees sufficiently before the printing of the prospectus of the Pre D. Ed. Examination, so that the information regarding fees can be printed in the prospectus.

14. **Interpretation of Rules** — The State Government shall be the final authority for deciding all questions of policy regarding selection of candidate for admission. If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the State Government shall be final and binding.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAND KUMAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

/ /अधिसूचना/ /

रायपुर, दिनांक ..../..../..

क्रमांक एफ [illegible] /20-एक/2008 :: विभागीय [illegible] अधिसूचना दिनांक 31.01.2008 द्वारा छत्तीसगढ़ [illegible] प्रवेश नियम 2007 बनाया गया है। उक्त नियम में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित [illegible] करता है, अर्थात्

संशोधन

1. नियम 2 [illegible] उपनियम (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय–
(झ) "ऑनलाइन आंबटन" से अभिप्रेत है कि प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो डी.एड. [illegible] के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें डी.एड. पाठ्यक्रम [illegible] संस्था/महाविद्यालय आवंटित हो सक ता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों [illegible] ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्री.डी.एड.परीक्षा प्रावीण्यता [illegible] संस्था/महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये संस्थाओं/[illegible]लयों के विकल्प के आधार पर संस्था/महाविद्यालय का आबंटन किया जाता है।

2. नियम [illegible] उपनियम (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायें–
(क) [illegible]–सामान्यतया डी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.डी.एड. की प्रावीण्य सूची के आधार [illegible] गए ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से दिया जायेगा।

3. नियम [illegible] उपनियम (ख) में काउंसिलिंग शब्द के स्थान पर "ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने" स्थापित [illegible] जाये।

4. नियम [illegible] उपनियम (क) को विलोपित करके उसके स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित [illegible] जायें।
(क) [illegible] आरक्षण अथवा श्रेणी वर्टिकल आरक्षण में जिलेवार आरक्षण लागू होगा। अर्थात् अनुसू[illegible] अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षण [illegible] जिलेवार आरक्षण अनुसूची 1 के अनुसार होगा।

इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले के डी.एड.संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, उसी जिले का निवासी अथवा उसी जिले से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

आवंटन सूची जिलेवार जारी होगी। यदि किसी डाइट/बी.टी.आई. में आवंटन के पश्चात् सीट रिक्त रह जाती है तो उसे अन्य जिले के अभ्यर्थियों से प्रावीण्यता के आधार पर भरी जा सकेगी। नये जिले जिसमें डाईट/बी.टी.आई. उपलब्ध नहीं है, के अभ्यर्थी अपने पूर्व जिले की डाइट/बी.टी. आई. के लिए आवेदन कर सकेंगे।

5. नियम 8 एवं उसके समस्त उपनियमों को विलोपित कर निम्नलिखित नियम व उपनियम प्रतिस्थापित किये जाये–

8. ऑनलाइन आवंटन–

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आवंटन विधि से किया जावेगा।

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/– रु. (अक्षरीः तीन सौ रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी ।

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं संस्थाओं/महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं ।

(ङ.) अभ्यर्थियों को संस्था/महाविद्यालय का आवंटन उसके द्वारा दिये गये आनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.डी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा।

(च) सीट आवंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी। सीट्स आवंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

(छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आवंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर

अभ्यर्थी का संस्था/महाविद्यालय आवंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए संस्था/महाविद्यालय आंवटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा । पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।

(ज) संस्था/महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आवंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नंदकुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

अनुसूची–I

[देखें नियम 5(क)]

जिलेवार आरक्षण का प्रतिशत

क्र.	जिले का नाम	संबंधित डाइट / बी.टी. आई.	आरक्षण का प्रतिशत			
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	सरगुजा	अम्बिकापुर	25	06	55	14
2.	कोरिया	कोरिया	25	06	55	14
3.	बिलासपुर	पेण्ड्रा, बी.टी. आई.बिलासपुर	43	19	24	14
4.	जांजगीर–चांपा	जांजगीर	43	19	24	14
5.	कोरबा	कोरबा	43	19	24	14
6.	रायगढ़	धर्मजयगढ़	25	12	49	14
7.	जशपुर	जशपुर	25	12	49	14
8.	राजनांदगांव	खैरागढ़, बी.टी. आई. डोंगरगांव	49	11	26	14
9.	कबीरधाम	कबीरधाम	49	11	26	14
10.	दुर्ग	बेमेतरा	60	13	13	14
11.	रायपुर	रायपुर	52	15	19	14
12.	धमतरी	नगरी	52	15	19	14
13.	महासमुंद	महासमुंद	52	15	19	14
14.	बस्तर	बस्तर	12	06	68	14
15.	कांकेर	कांकेर	12	06	68	14
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	12	06	68	14

नंदकुमार

(नंदकुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग